भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT
प्रवर्तन अनुभाग/ENFORCEMENT SECTION

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan
दूसरा तल उत्तरी स्कंध/2nd Floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400094
दूरभाष/Tel.25487217/25487265
ईमेल/E-mail: enforce@dcsem.gov.in

Ref: DCSEM/ENFT/35(31)/MGL/2011(e-780)/2677 Date : 17.04.2026

अपील APPEAL

विषय: अणुशक्तिनगर स्थित बीएआरसी कॉलोनी में प्राकृतिक गैस (पीएनजी) आपूर्ति का अनिवार्य सक्रियण और विशेष पंजीकरण शिविर का आयोजन – संदर्भ में

Sub: Mandatory Activation of PNG Supply at BARC Colony, Anushaktinagar and Conduct of Special Registration Camp – reg.

यह परिपत्र दिनांक 24.10.2024 और 04.02.2026 के परिपत्रों के क्रम में जारी किया जाना है, जिसमें अणुशक्तिनगर में महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) द्वारा पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के चरणबद्ध कार्यान्वयन का उल्लेख है।

This is in continuation to the earlier Circulars dtd. **24.10.2024** and **04.02.2026** regarding the phased implementation of Piped Natural Gas (PNG) by M/s Mahanagar Gas Limited (MGL) in Anushaktinagar.

1. **पीएनजी में अनिवार्य परिवर्तन** - निवासियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के 24.03.2026 के राजपत्र (गैज़ेट) (बिंदु संख्या 7, पृष्ठ 30) (प्रति संलग्न) के अनुसार, जहाँ भी बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है, वहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए PNG नेटवर्क पर जाना अनिवार्य है। MGL ने निर्धारित इमारतों - यानी चैतन्य, जयदेव चौक, कबीर चौक, मीराबाई चौक और नामदेव चौक - के लिए आवश्यक भूमिगत और ऊर्ध्वाधर पाइपलाइन लगाने का काम पहले ही पूरा कर लिया है।

Mandatory Transition to PNG - Residents are hereby informed that as per the **Government of India Gazette dated 24.03.2026 (Point No. 7, page 30)** (copy enclosed), it is mandatory for users to switch to the PNG network wherever the infrastructure is available. MGL has already completed the necessary underground and vertical pipeline installations for the designated buildings i.e **Chaitanya, Jaidev chowk, Kabir chowk, Meerabai chowk and Namdev chowk.**

2. **कार्यान्वयन में समस्याएं** - यह देखा गया है कि एमजीएल कर्मियों को मीटर लगाने के लिए फ्लैटों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि निवासी प्रशासन से स्पष्ट अनुमति न होने का हवाला दे रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि एमजीएल को परमाणु ऊर्जा विभाग(डीएई) और डीसीएसईएम द्वारा इन कार्यों को करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवंटियों से सहयोग की अपेक्षा है।

Issues in Implementation - It has been observed that MGL personnel are facing difficulties in accessing flats for meter installation as residents are citing a lack of explicit permission from the administration. It is clarified that MGL has been duly authorized by the Department of Atomic Energy (DAE) and DCSEM to carry out these works. Co-operation from all allottees is solicited to ensure safety and compliance.

3. **विशेष पंजीकरण, सक्रियण शिविर और घर-घर सर्वेक्षण** - तत्काल एक्टिवेशन को आसान बनाने और दस्तावेज़ीकरण से जुडी समस्याओं को हल करने के लिए, एमजीएल की मार्केटिंग और टेक्निकल टीमों (**श्री अजीत गुप्ता और श्री आकाश शिवगन**) द्वारा एक विशेष कैंप और घर-घर जाकर की जाने वाली गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है।

दिनांक: 18 अप्रैल 2026 और 19 अप्रैल 2026

समय: सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक

स्थान: मीराबाई चौक बिल्डिंग के पास।

उद्देश्य: मौके पर पंजीकरण, दस्तावेज़ सत्यापन और तत्काल मीटर स्थापना का कार्यक्रम तय करना।

Special Registration, Activation Camp and door to door survey activity - To facilitate immediate activation and resolve documentation issues, a Special Camp & door to door activity is being organized by the MGL Marketing and Technical teams **(Shri Ajeet Gupta & Shri Akash Shivgan)** on:

Dates: 18th April 2026 & 19th April 2026
Timing: 11:00 am to 7:00 pm
Venue : Near Meerabai chowk bldg.
Purpose: On-the-spot registration, document verification, & scheduling of immediate meter installation.

4. निवासियों के लिए आवश्यक शर्तें - जिन निवासियों ने अभी तक अपना कनेक्शन सक्रिय नहीं कराया है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज लाने/भरने होंगे:

- दस्तावेज: आवंटन पत्र की एक प्रति।
- जमानत राशि: रु 1,500/- (वापसी योग्य गैस उपभोग जमा)।
- ऑनलाइन पोर्टल: पंजीकरण एमजीएल वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है।

Requirements for Residents - Residents who have not yet activated their connection must bring/complete the following:

- **Documentation:** A copy of the Allotment Letter.
- **Security Deposit:** Rs.1,500/- (Refundable Gas Consumption Deposit).
- **Online Portal:** Registration can also be completed via the MGL website.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक अधिकृत संस्था ने पहले ही एक पाइपलाइन बिछा दी है, और वह चैतन्य, जयदेव चौक, कबीर चौक, मीराबाई चौक तथा नामदेव चौक को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की स्थिति में है। एलपीजी की कमी से निपटने के लिए, सरकार ने 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं को बिछाने, बनाने, संचालित करने और विस्तार के माध्यम से) आदेश 2026 लागू किया है। इस आदेश के खंड 7 में यह कहा गया है कि जिन भी जगहों पर पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराई गई है, वहाँ के घरों के लिए तीन महीने के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अधिकृत संस्था द्वारा एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

It may be noted that an authorised entity has already laid a pipeline and in a position to supply natural gas to Chaitanya, Jaidev chowk, Kabir chowk, Meerabai chowk and Namdev chowk. In order to cope up with the short supply of LPG, government has enacted the order called the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order 2026 wherein clause no: 7 stated that wherever the Piped Natural Gas has been provided, it is mandatory for the households to obtain PNG connection within three months as the LPG supply shall cease by the authorised entity.

अन्य इमारतों में पीएनजी उपलब्ध कराने का काम चल रहा है, और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, 24.03.2026 को सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी घरों के लिए PNG कनेक्शन पर स्विच करना अनिवार्य होगा।

The work of providing PNG in other buildings are underway and as soon as the same is completed, the households are required to switch over to PNG connection mandatorily as per the said order promulgated by Government on 24.03.2026.

चैतन्य, जयदेव चौक, कबीर चौक, मीराबाई चौक और नामदेव चौक के निवासियों निवासियों से अनुरोध है कि वे इस सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन विकल्प की ओर सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान के दौरान एमजीएल और डीसीएसईएम कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

Residents Chaitanya, Jaidev chowk, Kabir chowk, Meerabai chowk and Namdev chowk are requested to extend full cooperation to the MGL and DCSEM staff during this drive to ensure a smooth transition to this safer and more eco-friendly fuel alternative.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय Yours sincerely,

17-04-2026

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

Director (Personnel & Administration)/Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर के सभी निवासियों के लिए।

To All residents in Anushaktinagar.

प्रति Copy:1. ऑल रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन All Residents Welfare Association, ARWA, MRWA & WSRWA.
2. निदेशक, निसेसंप्रनि Director, DCSEM
3. मुख्य अभियंता (ईएसजी) Chief Engineer (ESG)
4. संयोजक, इंजीनियरिंग समिति Convenor, Engineering Committee
5. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar
6. प्रभारी अभियंता, टीटीएम-I (भागीरथी) Engineer-in-charge, TTM-I (Bhagirathi)

(8) उप-खण्ड (6) के अधीन अधिसूचना पर, पदाभिहित अधिकारी पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे कॉरिडोर के भीतर संबंधित भूमि या उससे संबंधित संबद्ध सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए भूमि, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची के भाग-4 के अनुसार ऐसे गैर-सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति को देय प्रतिकर का निर्धारण करेगा।

(9) इस खंड के प्रयोजन के लिए, पदाभिहित अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान सुनवाई करते समय, नीचे दिए गए मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्ति होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी कोर्ट या ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड मांगना ; और

(ङ) साक्षियों की जांच के लिए कमीशन जारी करना ।

7. **प्राधिकृत इकाई द्वारा अधिसूचित किए जाने पर परिवार द्वारा पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन के लिए आवेदन न करने और प्राप्त न करने के परिणाम.-** (1) यदि:

(क) किसी घर का पता ऐसे आवासीय क्षेत्र में है, जहां किसी प्राधिकृत इकाई ने पहले ही पाइपलाइन बिछा दी है या वह ऐसे पते पर या आवासीय क्षेत्र के किसी साझा पते पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की स्थिति में है;

(ख) प्राधिकृत इकाई ने उस पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से पावती या स्पीड पोस्ट से एक संदेश भेजा है ताकि वह प्राधिकृत इकाई को घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ता बन सके; और

(ग) परिवार ने प्राधिकृत इकाई का घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ता बनने के लिए प्राधिकृत इकाई के पास आवेदन नहीं किया है,

मद (ख) के अधीन प्राधिकृत इकाई द्वारा जारी किए गए संदेश की तारीख से तीन महीने के पश्चात् ऐसे पते पर एलपीजी आपूर्ती बंद हो जाएगी:

परंतु घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस उपभोक्ता बनने के लिए आवेदन घर के विधिक कब्जाधारी या परिसर के मालिक द्वारा किया जा सकता है:

परंतु और यह भी कि **कोई** प्राधिकृत **कंपनी इस आधार पर** अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) **जारी करती है कि ऐसे घर को पाइप्ड** प्राकृतिक **गैस कनेक्शन या गैस** आपूर्ती **देना** तकनीकी संभव **नहीं है, तो उस घर में** एलपीजी **की** आपूर्ती **बंद नहीं होगी।**

(2) प्राधिकृत इकाई ऐसी तकनीकी असफलता के कारणों का रिकार्ड रखेगी और जब भी ऐसे घर को **पाइप गैस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा उसे चालू करने में सक्षम हो जाएगी, तो** अनापत्ति प्रमाणपत्र **वापस ले लेगी।**

(3) प्राधिकृत इकाई, उप-खण्ड (1) के मद (ख) के अधीन प्राधिकृत इकाई द्वारा जारी संचार तथा सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, संबंधित क्षेत्र की सभी तेल विपणन कंपनियों के सभी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा सभी तेल विपणन कंपनियों को **इस अनुरोध के साथ भेजेगी कि वे ऐसी सूचना में सूचीबद्ध संबंधित पतों के निवासियों को पाठ संदेश, टेलीफोन अथवा रिकॉर्ड किए गए ध्वनि संदेश द्वारा सूचित करें कि संबंधित पते पर एल.पी.जी. की आपूर्ति उक्त सूचना की** तारीख **से तीन महीने की समाप्ति पर बंद कर दी जाएगी:**

परंतु किसी भी पते पर रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण, नाम सहित, इस खंड के अधीन जारी सार्वजनिक नोटिस में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे ।

8. **मंज़ूरी के बाद पाइपलाइन बिछाने में प्राधिकृत इकाई की असफलता का परिणाम.-** यदि कोई प्राधिकृत इकाई जिसे रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति दी गई है, ऐसी अनुमति मिलने के चार महीने के भीतर पाइपलाइन या उससे संबंधित सुविधाएँ बिछाने में असफल रहती है, तो-

(क) जैसा भी मामला हो, अपनी सुसंगत अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के अधीन अपने उत्तदायित्वों का व्यतिक्रम माना जाएगा, और वह शास्ति के लिए उत्तरदायी होगी; और

(ख) उस क्षेत्र के संबंध में प्राधिकृत इकाई की विशिष्टता प्राधिकृत इकाई को सम्यक् सूचना और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हटाई जा सकेगी।

9. **भूमि के उपयोग के संबंध में प्रतिबंध.-** (1) बल्क सप्लाई ट्रांसमिशन **पाइपलाइनों या स्टील पाइपलाइनों के संबंध में, जिनमें सीजीडी नेटवर्क या उसकी संबद्ध सुविधाएं या अन्य सुविधाएं शामिल हैं, निम्नलिखित लागू होंगे:-**

(क) सुसंगत भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र या गैर-सार्वजनिक क्षेत्र शामिल है, जिसके संबंध में ऐसी पाइपलाइनों या उससे संबंधित सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमति प्रदान की गई है, इस आदेश के अधीन उस भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग करने का हकदार होगा, जिसके लिए भूमि ऐसे मार्ग के अधिकार या उपयोग के अधिकार या अनुमति प्रदान किए जाने की तारीख से ठीक पहले उपयोग में लाई गई थी, उस सीमा तक जहाँ तक ऐसा उपयोग संबंधित पाइपलाइन, उससे संबंधित सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के संचालन को क्षति पहुँचाए बिना या उसमें हस्तक्षेप किए बिना संभव हो:

(9) The designated officer shall for the purposes of this clause, have the powers of civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requestioning any public record from any court or office; and

(e) issuing commission for examination of witnesses.

7. **Consequence of household not applying for and obtaining piped natural gas connection when notified by authorised entity.– (1)** If:

(a) the address of a household is located in a housing area where an authorised entity has already laid a pipeline or is in a position to supply natural gas to such an address or a common address of the housing area;

(b) the authorised entity has issued a communication by registered post acknowledgement due or by speed post to such address to become a domestic piped natural gas consumer of the authorised entity; and

(c) the household has not applied to the authorised entity to become a domestic piped natural gas consumer of the authorised entity,

the LPG supply to such address shall cease after three months from the date of the communication issued under item (b) by the authorised entity: Provided that an application to become a domestic piped natural gas consumer can be made by the lawful occupier of the household or the owner of the said premises:

Provided further that the supply of LPG to a household shall not cease, if the authorised entity issues a no-objection certificate (NOC) on the ground that it is technically infeasible to provide a piped natural gas connection or gas supply to such household.

(2) The authorised entity shall maintain records of the reasons for such technical infeasibility and withdraw the NOC as and when it is able to provide and operationalise the piped gas connectivity to such household.

(3) The authorised entity shall send a copy of the communication and public notice issued by the authorised entity under item (b) of sub-clause (1), to all LPG distributorships of all oil marketing companies of the relevant area and to all the oil marketing companies, with a request to notify the residents of the relevant addresses listed in such notice, either by text message or telephonically or by recorded voice message, that supply of LPG to the relevant address shall be stopped on expiry of three months from the date of the said notice:

Provided that the personal details of the persons residing at any of the addresses, including names shall not be published in the public notice issued under this clause.

8. **Consequence of failure by authorised entity to lay pipelines after approval.–** If an authorised entity to whom a right of way or right of use or any permission has been granted, fails to lay the pipeline or its associated facilities within a period of four months from the grant of such permission, then–

(a) the authorised entity shall be considered to be in default of its obligations under its relevant licence or authorisation, as the case may be, and shall be liable to penalty; and

(b) the exclusivity of the authorised entity with respect to that area may be removed after giving due notice and opportunity of being heard to the authorised entity.

9. **Restrictions regarding use of land.–** (1) In respect of bulk supply transmission pipelines or steel pipelines including those comprising the CGD network or its associated facilities or other facilities, the following shall be applicable:–

(a) the owner or occupier of the relevant land comprising the public area or housing area or non-public area in respect of which right of way or right of use or permission has been granted, for such pipelines or its associated facilities, shall be entitled to use the land for the purpose for which land was put to use immediately before the date of grant of such right of way or right of